न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —41/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/54

1. दुर्गाप्रसाद आत्मज मदनलाल
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नि श्री दुर्गाप्रसाद
   निवासीगण गिर्राज प्रसाद गौतम का मकान, सत्य निकेतन स्कूल के पास सकतपुरा, कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्रीमती दीपमाला सोनी पत्नि स्व0 हेमन्त कुमार सोनी , अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
2. मनोज सोनी पुत्र दुर्गाप्रसाद सोनी निवासी मालव बैग्स के उपर लाल बुर्ज कैथूनीपोल, कोटा कोटा (राज0)

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 28.02.2025 मिसल नं0 68/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ललित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 02.06.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने प्रार्थी अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 28.02.2025 को आदेश पारित किया कि—"कानूनन वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत पुत्रवधु से भरण पोषण राशि दिलाये जाने का प्रावधान नहीं है । जिस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । न्यायहित में अप्रार्थी नं0 2 को पाबंद किया जाता है कि अपने माता पिता की सेवा सुश्रुषा एवं आवश्यकतानुसार भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे ।"
2. अपीलांटगण द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.03.2025 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । नये कानून एवं प्रावधानों के अन्तर्गत यदि पुत्रवधू पूर्णतया समर्थ एवं सक्षम है तो उससे भरण पोषण उस पर आश्रित सास ससुर को दिलवाया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक ललित, नंदकिशोर नागर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष ने अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्टगण का पुत्र हेमन्त जो कि मेडिकल में एम आर था जिसका देहान्त 21.9.2015 को हो जाने के पश्चात उसकी पत्नि रेस्पोडेन्ट नं0 1 को अपीलांटगण द्वारा स्वयं अपने बलबूते पर आर्थिक व मानसिक रूप से सहयोग कर उसकी सरकारी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति करवाई गई जिसके पश्चात आज वर्तमान में अपीलांटगण के सामने अपने भरण पोषण से संबंधित संकट उत्पन्न होने से अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने भरण पोषण से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पुत्रवधू से भरण पोषण राशि नहीं दिलाई जा सकती है । जबकि नये कानूनों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत यदि पुत्रवधू पूर्णतया समर्थ एवं सक्षम है तो उससे भरण पोषण उस पर आश्रित सास ससुर को दिलवाया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा समय पर जवाब नहीं दिये जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट नं0 1 का जवाब बन्द किया जाकर उक्त पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की जा चुकी थी जिसमें रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें डिले का कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 को जवाब प्रस्तुत करने का बिना किसी शर्त के अवसर दिया गया जो कि पूर्णतया अनुचित है । अपीलांटगण आज वर्तमान में पूर्णतया वृद्वावस्था एवं अस्वस्थता के चलते पूर्णतया आर्थिक व शरीरिक रूप से कमजोर हो चुके है जिनके भरण पोषण हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त जिम्मेदारियां रेस्पोडेन्ट नं0 2 की रखते हुए रेस्पोडेन्ट नं0 1 को पूर्णतया उक्त उत्तरदायित्व वहन करने के लिए समर्थ होने के बावजूद भी मुक्त किया गया है जो कि एक अनुचित निर्णय होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित निर्णय खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को बराबर बराबर राशि वास्ते भरण पोषण अपीलांटगण को दिलवाई जाने का आदेश पारित किया जावें ।

5. रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट का पति हेमन्त मेडिकल दवा कम्पनी में एम आर क पद पर कार्यरत था, वर्ष 2010 में रेस्पोडेन्ट कम–1 का विवाह अपीलान्टगण के पुत्र हेमन्त सोनी के साथ सम्पन्न हुआ । शादी के बाद से ही रेस्पोडेन्ट कम–1 के हेमन्त सोनी से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, वर्तमान में रेस्पोडेन्ट निसन्तान है । रेस्पोडेन्ट कम–1 का जीवन शादी के बाद से ही सुखमय चल रहा था, लेकिन रेस्पोडेन्ट कम–1 के शादी के बाद में कोई सन्तान नहीं होने के कारण अपीलान्टगण उसे ताने मारते और बांझ कहकर बुलाते थे और उसके साथ अनुचित व्यवहार करते थे । यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, घर में तनाव रहने से रेस्पोडेन्ट कम–1 के पति हेमन्त को बीमारी होने से दिनांक 21.9.2015 को अचानक स्वर्गवास हो गया । अपीलान्टगण ने अपने पुत्र हेमन्त की मृत्यु के पश्चात उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए यह कहा कि तुम हमारी बेटी हो हम तुम्हे नहीं छोडेंगे तुम हमारी साथ यही रहोगी, लेकिन अपीलान्टगण ने कुछ महिनों तक ही रेस्पोउडेन्ट कम–1 के साथ सहानुभूति दिखलाई, इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट कम–1 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया । इससे तंग आकर रेस्पोडेन्ट कम–1 अपने माता पिता के घर आ गई, रेस्पोडेन्ट कम–1 शिक्षित थी, इसलिये वह अपने पेरों पर खडा होकर स्वाभीमान की जिन्दगी जीना चाहती थी इसलिए उसने कोचिंग लेकर शिक्षिका की नोकरी की तैयारी की ओर वर्ष 2018 में फस्टग्रेड की टीचर पर नियुक्ति हुयी । रेस्पोडेन्ट कम–1 के पास अपीलान्टगण का कोई भी वारिस नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम–1 ने अपने पति हेमन्त सोनी का चल

जिला कलक्टर
कोटा

अचल सम्पत्ति का हिस्सा अपीलान्टगण के पास छोड रखा है । अपीलान्टगण स्वयं कमाने में सक्षम है वह स्वयं वर्तमान में सोने चांदी का काम करता है जिससे उसे 60,000/– तक मासिक आय होती है, अपीलान्टगण अभी भी रेस्पोडेन्ट कम 2 के साथ निवास करता है जो कि दोनों की मिलिभगत से और रेस्पोडेन्ट कम 1 से पैसा ऐंठने की वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलान्टगण का पुत्र हेमन्त किसी रेपूटेड दवा कम्पनी में कार्य नहीं करके एक साधारण कम्पनी में साधारण एमआर का कार्य करता था जो कि वर्ष 1998 से अपीलान्टगण द्वारा करना बताया गया है । अपीलान्ट ने 1998 से अपने पुत्र का एमआर के पद पर कार्य करना बताया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपने पति हेमन्त सोनी की मृत्यु के पश्चात अपीलान्टगणों का पूरा ध्यान रखा वह प्राईवेट कोचिंग करती और अपीलान्टगण को पैसा देती थी, लेकिन अपीलान्टगण ने रेस्पोडेन्ट कम–1 को नाजायज मानसिक तौर पर प्रताडित किया उसे ताने मारते कि तूने हमारे पुत्र हेमन्त को मार दिया, जिससे रेस्पोडेन्ट कम 1 डिप्रेशन में आ गई और बडी मुश्किल से रेस्पोडेन्ट कम 1 को ईलाज करवाकर डिप्रेशन से बाहर आई । रेस्पोडेन्ट –1 को अपीलान्टगण द्वारा मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित किया गया उसे ससुराल से निकाल दिया गया और वर्ष 2016 में रेस्पोडेन्ट अलग अपने माता पिता के पास जाकर रहने लगी वही से उसने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अपने स्तर पर की उसने पूर्व में भी शादी के पश्चात 2013 में अपने गहने बैंक में गिरवी रखकर अपनी नोकरी की तैयारी की । वर्ष 2018 में रेस्पोडेन्ट कम 1 की नोकरी फस्टग्रेड टीचर के तौर पर राज्य सरकार के अधीन लग गई थी, रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपनी मेहनत, लगन व ईमानदारी से यह नोकरी प्राप्त की है यह नोकरी किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की अनुकम्पा नियमों के तहत प्राप्त नहीं की है बल्कि व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त की है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपने पति हेमन्त सोनी की मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार से अपने पति की सम्पत्ति में से हिस्सेदारी आज तक नहीं ली है और ना ही किसी प्रकार का दावा किया है अर्थात रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपने पति की सम्पूर्ण प्रोपर्टी का हिस्सा अपीलान्ट को छोड दिया है । अतः रेस्पोडेन्ट कम 1 किसी भी प्रकार से भरण पोषण देने के लिये बाध्य नहीं है । अपीलान्ट की आर्थिक स्थिति मजबूत है, अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह सोने चांदी की दुकान रामपुरा कोटा में कई वर्षो से चला रहा है और इससे उसको अच्छी मासिक आमदनी करीब 60 से 70 हजार रूपये प्राप्त होती है जो कि अपीलान्टगण के लिये पर्याप्त है । अपीलान्टगण ने रेस्पोडेन्ट कम 1 को कभी भी अपनी पुत्रवधु के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसे हमेशा प्रताडित करते रहते थे, जबकि रेस्पोउेन्ट कम 1 ने अपना हिस्सा अपीलान्ट को छोड दिया, जिससे की वह अपना भरण पोष्ज्ञण कर सके, इसलिए अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है । अपीलान्टगणों को किसी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, साथ ही अपीलान्टगण अपने रेस्पोउेन्ट कम 2 के साथ एक ही घर में मिलकर रहता है, रेस्पोडेन्ट कम–2 के साथ एक ही घर में मिलकर रहता है, रेस्पोउेन्ट कम 2 कई वर्षो से पंजाब ज्वेलर्स के यहां पर नोकरी करता है जिसे करीब 20 से 25 हजार रूपये मासिक वेतन मिलता है । इसलिए अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से किसी भी प्रकार का कोई भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । अतः अपीलान्ट की उक्त अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुत्रवधु से भरण पोषण की मांग की गई थी जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया है कि ''कानूनन वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत पुत्रवधु से भरण पोषण राशि दिलाये जाने का प्रावधान नहीं है । जिस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । न्यायहित में

जिला कलक्टर
कोटा

अप्रार्थी नं0 2 को पाबंद किया जाता है कि अपने माता पिता की सेवा सुश्रुषा एवं आवश्यकतानुसार भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे ।''अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व इस न्यायालय में अपीलांट ने अपील दिनांक 26.03.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलांट का पुत्र हेमन्त जो कि मेडिकल में एम आर था जिसका देहान्त 21.9.2015 को हो जाने के पश्चात उसकी पत्नि रेस्पो0 नं0 1 को अपीलांटगण ने आर्थिक एवं मानसिक रूप से सहयोग कर उसकी सरकारी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति करवाई है तथा नये कांनून एवं प्रावधानों के अन्तर्गत यदि पुत्रवधू पूर्णतया समर्थ एवं सक्षम है तो उससे भरण पोषण उस पर आश्रित सास ससुर को दिलवाया जा सकता है । किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में ऐसा कोई कानून एवं न्यायिक निर्णय प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बहू से भरण पोषण की राशि दिलाने का प्रावधान हो अपितु वर्तमान प्रचलित माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत माता पिता अपनी सन्तानों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है, अधिनियम में ''सन्तान'' के रूप में पुत्र, पुत्री, पोत्र और पौत्री परिभाषित किया है, इसमें पुत्रवधु को सन्तान के रूप में नहीं माना है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है तथा चाहा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2025 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.02.2024 में कोई हस्तक्षेप करने की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा